2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश आर्य. बनाम लो.सू.अ. (कोषाधिकारी ग्रामीण / शहर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 27 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश आर्य पुत्र पोपटमल पता ताशखाना बावड़ी, बाल्मीकी बस्ती, जिला जालोर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.11.18 में उसके द्वारा (1) जब लिगेसी पेंशनरों की सिडिंग करके उन्हें भुगतान हेतु जो पेमेंट लिस्ट ऑनलाईन जनरेट होती थी तो वह अलग से लिगेसी पेंशनरों की भुगतान लिस्टबनती या फिर रगुलर पेंशनरों के साथ उनका नाम लिस्ट मे जुड़ जाता, इसके बारे में बताने एवं अन्य 13 बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी शहर / ग्रामीण जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी शहर / ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(कोषाधिकारी शहर) से जरिये पत्रांक 1717 दिनांक 04.02.19 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि पेंशन संबधित समस्त कार्य कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर द्वारा सम्पादित किया जाता है, परन्तु प्रार्थी को इस बारे में सूचित नहीं किया गया जो आवश्यक था। कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर से जरिये पत्रांक 15 दिनांक 04.02.19 के तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी ओमप्रकाश आर्य द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन का प्रत्युत्तर कार्यालय के पत्रांक 3481 दिनांक 29.11.18 द्वारा भिजवा दिया गया। रिपोर्ट के साथ प्रार्थी को भिजवाया गया पत्र की फोटो भी संलग्न की है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी ग्रामीण) द्वारा नियत अवधि में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। न्यायहित में कोषाधिकारी ग्रामीण की रिपोर्ट के साथ प्राप्त पत्र (प्रार्थी को लिखा गया) की प्रति अपीलार्थी को आदेश प्रति के साथ प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	